कन्हैया लाल पॉलिटेक्निक, रुड़की हरिद्वार, उत्तराखण्ड (सरकार से सहायता प्राप्त संस्थान) में प्रवक्ता रसायन के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं।

विज्ञप्ति संख्या– 1236 दिनांक– 15/02/2026

आवेदन पत्र संस्था कार्यालय से प्राप्त करने/संस्था की वेबसाइट पर उपलब्ध होने की तिथि– 16/02/2026

आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि– 07/03/2026 सायं 5:00 बजे

1. पदनाम – प्रवक्ता, रसायन

1.	पदों की संख्या	रसायन –01
2.	वेतनमान	रू0 15600 – रू0 39100, ग्रेड पे– रू0 5400/– (7वें वेतनमान के अनुसार पुनरीक्षित वेतनमान–रू0 56100–177500, लेवल–10)
3	पद का स्वरूप	अस्थायी, (दो वर्ष की परिवीक्षा काल के उपरान्त निरन्तर चलने की सम्भावना) अंशदायी पेंशन युक्त (समूह–ख)
4	अनिवार्य शैक्षिक अर्हता	1– 55 प्रतिशत अंक सहित द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि। 2– हिन्दी का ज्ञान।
5	अधिमानी अर्हता	अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा– (1) बी0एड0 या समकक्ष उपाधि (2) प्रादेशिक सेना में कम से कम 02 वर्ष की सेवा की हो, या (3) नेशनल कैडेट कोर (एन0सी0सी0) का 'बी' अथवा 'सी' प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो: को अन्य बातों के समान होने पर अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा।
6	आयु सीमा	आयु सीमा– 21 से 42 वर्ष निर्धारित है। आयु की गणना की निश्चायक तिथि 01 जनवरी 2026 है। अभ्यर्थी की आयु 01 जनवरी 2026 को न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए तथा 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

रिक्ति का विवरण :–रिक्ति की संख्या– 01(एक)

पद का विवरण	रिक्त पद	SC	ST	OBC	EWS	GEN	Total
प्रवक्ता रसायन	01	00	00	01	00	00	01
योग	01	00	00	01	00	00	01

प्रवक्ता रसायन क्षैतिज आरक्षण

क्र0 सं0	श्रेणी	रिक्त पदों की संख्या	उत्तराखण्ड महिला	भूतपूर्व सैनिक	दिव्यांग जन	स्वतंत्रता संग्राम सैनानी	उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चे	कुशल खिलाडी	उत्तराखण्ड आंदोलनकारी	अनारक्षित	योग
			30%	5%	4%	2%	5%	4%	10%		
1.	अनुसूचित जाति	01	00	–	–	–	–	–	–	00	00
2.	अनुसूचित जन जाति		00	00	00	00	00	00	00	00	00
3.	अन्य पिछड़ा वर्ग		00	00	00	00	00	00	00	01	01
4.	अनारक्षित		00	00	00	00	00	00	00	00	00
5	आर्थिक रूप से कमजोर		00	00	00	00	00	00	00	00	00
योग			00	00	00	00	00	00	00	01	01

:–अति महत्वपूर्ण निर्देश :–

1. अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि आवेदन–पत्र भरने की अन्तिम तिथि अर्थात् दिनांक 07/03/2026 तक विज्ञापन में वर्णित समस्त अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं, अनुभव एव अन्य अर्हताएं अवश्य धारित करते हों।

   अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं धारित करने की तिथि का निर्धारण केवल अंक–पत्र निर्गत होने की तिथि (Marksheet Issuing Date) से किया जायेगा। अतः अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें की आवेदन–पत्र के शैक्षिक अर्हता (Qualification Details) के विवरण में परीक्षाफल घोषित तिथि(Result Declaration Date) के कॉलम में सम्बन्धिक शैक्षिक अर्हता के अंक–पत्र निर्गत होने की तिथि (Marksheet Issuing Date) का अंकलन हो।

   अभिलेख सत्यापन के समय विज्ञापन के अनुसार वॉछित अर्हताओं की पुष्टि न होने पर अभ्यर्थी को अनर्ह अभ्यर्थियों की श्रेणी में रखा जायेगा।
2. अभ्यर्थी आवेदन करने के पूर्व विज्ञापन में वर्णित समस्त निर्देशों का भली–भांति अध्ययन कर लें तथा आवेदन पत्र को सही–सही भरें। अपूर्ण आवेदन पत्र किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किये जायेंगे तथा अभ्यर्थन स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा। आवेदन हेतु निर्धारित अतिंम तिथि/समय तक ही आवेदन पत्र पंजीकृत डाक/स्पीड–पोस्ट के माध्यम से ही स्वीकार किये जाएंगे।
3. फर्जी प्रमाण–पत्रों (शैक्षिक योग्यता/आयु/आरक्षण आदि सम्बन्धी) के आधार पर आवेदन–पत्र प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थियों को इस साक्षात्कार से व समस्त आगामी साक्षात्कार से अधिकतम 05 वर्षो के लिए प्रतिवारित (DEBAR) कर दिया जायेगा। साथ ही सुसंगत विधि के अन्तर्गत ऐसे अभ्यर्थियों के विरूद्ध अभियोग भी दर्ज कराया जा सकता है।
4. 1. प्रश्नगत पद हेतु चयन का निर्धारण उत्तर प्रदेश के शासनादेश संख्या–3510(1)/16–प्रा0शि0–2–1999 दिनांक 18 दिसम्बर 1999 में वर्णित व्यवस्थानुसार प्रवक्ता पद पर सीधी भर्ती के लिए चयन हेतु शैक्षिक योग्यता, अनुभव तथा साक्षात्कार के निमित्त मापदण्ड के अनुसार किया जायेगा। साक्षात्कार से पूर्व अभ्यर्थियों द्वारा प्रेषित आवेदन पत्र के साथ संलग्न अभिलेखों की स्क्रूटनी की जायेगी एवं तत्पश्चात् अर्ह अभ्यर्थियों का साक्षात्कार किया जाएगा।
   2. विज्ञापन में उल्लिखित शर्तानुसार यदि आवेदन–पत्र में अभ्यर्थी के दावे के अनुसार प्रमाण–पत्रों में भिन्नता अथवा कमी पायी जाती है, तो अभ्यर्थी को प्रश्नगत पद हेतु अनर्ह घोषित कर दिया जाएगा। अतः अभ्यर्थी आवेदन पत्र में सभी सूचनाएँ सावधानीपूर्वक एवं सही–सही भरें।
   3. अभ्यर्थियों को साक्षात्कार की जानकारी कन्हैया लाल पॉलीटेक्निक रूड़की की वेबसाइट www.klproorkee.co.in के माध्यम से पृथक से प्रदान की जायेगी साथ ही अभ्यर्थियों को ई–मेल के माध्यम से प्रेषित की जायेगी। इसलिए अभ्यर्थी स्वयं का मोबाईल नम्बर व ई–मेल आई0 डी0 ही आवेदन पत्र में भरें।
5. अभ्यर्थी अनुभव प्रमाण–पत्र हेतु परिशिष्ट–01 एवं अभिलेखों से संबंधित चैक लिस्ट हेतु परिशिष्ट–02 का अवलोकन करें।
6. प्रश्नगत विज्ञापन के सापेक्ष साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थियों का प्रवेश–पत्र डाक/संस्था की ई–मेल द्वारा प्रेषित किये जायेंगे।
7. उत्तराखण्ड शासन, समाज कल्याण अनुभाग–3 के शासनादेश संख्या–48/XVII-A-3/2023-01(11)/वि0क0/2017, दिनांक–05.06.2023 के अनुसार कन्हैया लाल पॉलीटेक्निक रूड़की में प्रवक्ता हेतु दिव्यांगता OA, OL, LV/PB, HH/PD, LC. Dw, AAV/AV श्रेणी

की निःशक्तता से ग्रस्त दिव्यांगजन उपश्रेणी के अभ्यर्थी अनारक्षित पदो के सापेक्ष खुली प्रतियोगिता के माध्यम से चयन हेतु आवेदन कर सकते हैं।

8. अभ्यर्थियों का चयन पूर्णतः औपबन्धिक है। यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि वह अभ्यर्थी निर्धारित अर्हताएँ धारित नहीं करता है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा और अभ्यर्थी का अन्तिम रूप से चयन भी कर लिया जाता है। तो वैसी दशा में भी अभ्यर्थी के अभिलेखों में त्रुटि/विसंगति पाये जाने पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा।

कन्हैया लाल पॉलीटेक्निक रूड़की में प्रवक्ता पद पर चयन हेतु इच्छुक/पात्र अभ्यर्थियों से विज्ञापन की शर्तानुसार आवेदन आमंत्रित किये जाते है। इच्छुक/पात्र अभ्यर्थी समस्त अभिलेखों सहित अंतिम तिथि तक आवेदन कर सकते हैं।

अधिकतम आयु सीमा में छूटः–विभिन्न श्रेणियों/उप श्रेणियों के अभ्यर्थियों हेतु उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत एवं वर्तमान में प्रचलित शासनादेशों के अनुसार उच्चतम आयु सीमा में उनके आरक्षण की श्रेणी तथा उपश्रेणी के अनुसार छूट प्रदान की जाएगी।

1. उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति/उत्तराखण्ड अनुसूचित जन जाति/उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु शासनादेश संख्या :1399 दिनांक 21 मई 2005 द्वारा अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य है।
2. उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित अभ्यर्थियों के लिए शासनादेश संख्याः 1244 दिनांकः 21 मई, 2005 द्वारा अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य है।

उत्तराखण्ड के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए शासनादेश संख्याः 2313,दिनांकः 30 जुलाई 2005 द्वारा समूह 'क' एवं 'ख' के पदों हेतु अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य है।

3. शासनादेश संख्याः 17/2/1981 कार्मिक–2, दिनांकः 28 फरवरी, 1985 के अनुसार उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिकों को जिन्होंने सेना के आपात कालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों/अल्प कालीन सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों सहित, पूर्व सैनिकों तथा कमीशन प्राप्त उन अधिकारियों को जिन्होंने सेना में कम से कम पांच वर्ष की सेवा कर ली हो, निर्धारित अधिकतम आयु सीमा से अधिकतम पांच वर्ष तक की छूट सेवाकाल को आधार मानकर, दी जायेगी। यह छूट उन सैनिकों/अधिकारियों को भी अनुमन्य होगी जो छः माह की अवधि में कार्यमुक्त होने वाले परन्तु निम्नलिखित को अनुमन्य नहीं होगी :–

(1) जो कदाचार अथवा अकुशलता के कारण बर्खास्त हुए हों,
(2) जो सेना की सेवा में अवगुण समझी जाने वाली शारीरिक अयोग्यता अथवा अशक्तता के कारण सेवा मुक्त हुए हों।

09. राष्ट्रीयताः संवर्ग में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी :–

(क) भारत का नागरिक हो; या
(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से 01 जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो, या
(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश– केन्या, युगांडा और यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रवजन किया हो; परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिये जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो:

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उपमहानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तराखण्ड से पात्रता प्रमाण–पत्र प्राप्त कर ले।

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण–पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में तभी रहने दिया जायेगा जब कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

टिप्पणीः ऐसे अभ्यर्थी को जिनके मामले में पात्रता का प्रमाण–पत्र आवश्यक है, किन्तु न तो वह जारी किया गया है और न देने से इंकार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण–पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाये अथवा उसके पक्ष में जारी कर दिया जाये।

10. **चरित्रः**–संवर्ग में किसी पद सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह संवर्ग में नियोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। नियुक्ति प्राधिकारी इस संबंध में अपना समाधान कर लेगा।

टिप्पणीः– संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियन्त्रणाधीन या सहायता प्राप्त किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति संवर्ग में किसी पद पर नियमित नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। नैतिक अर्धमता के किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।

11. **वैवाहिक प्रास्थितिः**–संवर्ग में किसी पद पर नियुक्ति के लिये ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो –

परन्तु सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रर्वतन से छूट दे सकती है यदि उसका यह का समाधान हो जाये कि ऐसा करने के लिये विशेष कारण विद्यमान है।

12. **शारीरिक स्वस्थताः**–किसी भी व्यक्ति को संवर्ग में किसी पद पर तभी नियुक्त किया जायेगा, जब मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त हो, जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की संभावना हो, किसी अभ्यर्थी की नियुक्ति के लिए अंतिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह फाइनेन्शियल हैण्डबुक खण्ड दो, भाग तीन के अध्याय तीन में दिये गये फण्डामेण्टल रूल, 10 के अधीन बनायेग ये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करें– परन्तु पदोन्नति द्वारा भर्ती किये गये अभ्यर्थी से स्वस्थता प्रमाण–पत्र की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

अध्यक्ष, प्रबंध समिति
कन्हैयालाल पॉलीटेक्निक, रूड़की